न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, सीकर

पीठासीन अधिकारी : अनिल कुमार II, RAS

अपील संख्या 24 / 2024

1 जगदीश प्रसाद पुत्र मालीराम जाति माली उम्र 70 साल निवासी सेडु की ढाणी तन देसुसर तहसील व जिला झुन्झुनूं।
2 राधेश्याम पुत्र मालीराम जाति माली उम्र 68 साल निवासी सेडु की ढाणी तन देसुसर तहसील व जिला झुन्झुनूं।
3 दीपचन्द पुत्र चोखचन्द जाति माली निवासी सेडु की ढाणी तन देसुसर तहसील व जिला झुन्झुनूं।
4 ज्ञानप्रकाश पुत्र चोखचन्द जाति माली उम्र 46 साल निवासी सेडु की ढाणी तन देसुसर तहसील व जिला झुन्झुनूं।

अपीलांटस

बनाम

1 मदनलाल आयु 59 साल पुत्र स्व. कुरड़ाराम जाति मेघवाल निवासी जाटावास बगड़ तहसील व जिल झुन्झुनूं।
2 श्योपाल सिंह आयु 45 साल पुत्र स्व. कुरड़ाराम जाति मेघवाल निवासी जाटावास बगड़ तहसील व जिला झुन्झुनूं।
3 कृष्ण गोपाल आयु 52 साल पुत्र स्व. कुरड़ाराम जाति मेघवाल निवासी जाटावास बगड़ तहसील व जिला झुन्झुनूं।
4 जयसिंह आयु 50 साल पुत्र स्व. कुरड़ाराम जाति मेघवाल निवासी जाटावास बगड़ तहसील व जिला झुन्झुनूं।
5 राजेश आयु 48 साल पुत्र स्व. कुरड़ाराम जाति मेघवाल निवासी जाटावास बगड़ तहसील व जिला झुन्झुनूं।
6 श्रीमती मीरा देवी पत्नी स्व. हजारीमल जाति माली निवासी सेडू की ढाणी तन देसूसर तहसील व जिला झुन्झुनूं।
7 लैण्ड होल्डर तहसीलदार झुन्झुनूं।

रेस्पोडेन्टस

अनिल कुमार II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

अपील विरूद्ध निर्णय दिनांक 03.01.2024 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झुन्झुनूं बमुकदमा उनवानी कुरड़ाराम बनाम जगदीश वगै. मु.नं. 08/2020 प्रार्थना पत्र अ. धारा 251 ए राजस्थान टिनेन्सी एक्ट

उपस्थिति :

1. श्री सुरेश महला, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री शिवनारायण सिंह, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

—निर्णय—

दिनांकः— 20/5/26

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झुन्झुनूं द्वारा मुकदमा नम्बर 08/2020 में पारित निर्णय दिनांक 03.01.2024 के विरूद्ध प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में प्रार्थीगण रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 5 ने एक प्रार्थना पत्र अ. धारा 251 ए राजस्थान टिनेन्सी एक्ट बाबत भूमि खसरा नम्बर 1866, 1838, 1839, 1840 वाके ग्राम बगड़ का पेश किया। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से प्रार्थना पत्र स्वीकार कर लिया। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलान्ट ने तर्क दिया कि धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के आवेदन पत्र में आवेदक कुरड़ाराम व उसके मरणोपरान्त उसके वारिसान की ओर से ऐसा कोई भी तथ्य उक्त आवेदन पत्र में दर्ज नहीं किया गया है कि उनके पास उक्त तथाकथित प्रस्तावित रास्ते को छोड़कर और कोई रास्ता अपने खेत में जाने के लिए न हो, आवेदकगण/रेस्पोडेन्ट के खेत खसरा नम्बर 1866

अनिल कुमार II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

रकबा 0.66 है. में आवागमन हेतु पहले ही रास्ता विद्यमान है। उक्त तथ्य को रेस्पोडेन्टस द्वारा जानबूझकर छिपाया गया है। कपोलकल्पित नक्शा में ए बिन्दु बी बिन्दु सी बिन्दु दर्शाकर कपोलकल्पित तथ्य दर्ज कर मौके की वास्तविक स्थिति को छिपाकर वादग्रस्त भूमि के पूर्व में स्थित कटाण के रास्ते को छिपाकर उक्त आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है। विचारण न्यायालय ने भी पूर्ववत रास्ते की स्थिति के बाबत प्रस्तुत रिपोर्ट का व राजस्व रिकार्ड का सही ढंग से मनन, अवलोकन किये बगैर उक्त निर्णय पारित करने में कानूनी भुल की है। धारा 251 ए राजस्थान टिनेन्सी एक्ट के प्रावधान उसी स्थिति में लागू हाते है जब ऐसे रिकार्डेड खातेदार काश्तकार के पास अपनी कृषि भूमि में जाने हेतु कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध ना हो। वर्तमान मामले में आवेदकगण के पास अपनी कृषि भूमि में जाने के लिए वादग्रस्त भूमि के पूर्व में पहले से ही जाने के लिए कटाण का रास्ता उपर वर्णितानुसार है। ऐसी स्थिति में आवेदकगण रेस्पोडेन्टस के पास वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध न हो, ऐसा नहीं माना जा सकता। कुरड़ाराम व उसके वारिसान आवेदकगण/रेस्पोडेन्ट ने अपने आवेदन पत्र में भी यह तथ्य वर्णित नहीं किया कि उनके पास अपनी कृषि भूमि में जाने का अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता न हो। इस प्रकार वर्तमान मामला 251 ए राजस्थान टीनेन्सी एक्ट की परिधि में नहीं आता है। आवेदकगण/रेस्पोडेन्टस के उक्त आवेदन पत्र में कोई भी मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं की गई और न ही कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रदर्शित हुई है। भूमि खसरा नम्बर 1837 रकबा 1.62 है. वाके ग्राम बगड़ के रिकार्डेड खातेदार काश्तकार चौखचन्द ने अपने जीवनकाल में ही उक्त भूमि अनिल सैनी पुत्र दीपचन्द सैनी को दिनांक 06.04.2021 को दान कर दी थी जिसका दान पत्र उक्त चौखचन्द सैनी ने दिनांक 06.04.2021 को अनिल सैनी के हक में लिखाकर इसका पंजीयन भी उप पंजीयक झुन्झुनूं के यहां दिनांक 06.04.2021 को करवा दिया। उक्त अनिल सैनी को उक्त आवेदन पत्र में पक्षकार ही नहीं बनाया गया। इसके अलावा उक्त आवेदन

अनिल कुमार II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

पत्र के अनावेदक संख्या 7 चौखचन्द पुत्र मालीराम का दौराने विचारण देहान्त हुआ उसके विधिक वारिसान उसकी पुत्री सरिता को उक्त आवेदन पत्र में पक्षकार ही नहीं बनाया गया। इसके अलावा चौखचन्द के पुत्र प्रकाश को भी वर्तमान आवेदन पत्र में पक्षकार ही नहीं बनाया गया। इस प्रकार भी उक्त आवेदन पत्र में नॉन–जोईन्डर ऑफ पार्टीज का नुक्स रहा है गलत व्यक्ति के नाम अंकित करके गलत पते पर नोटिस प्रेषित कर एकपक्षीय तौर से उक्त निर्णय पारित करवाया गया है जो विधि की मान्य सिद्धान्तों के प्रतिकुल होने से खारिज होने योग्य है। अपील स्वीकार की जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय में प्रार्थीगण रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 5 ने एक प्रार्थना पत्र अ. धारा 251 ए राजस्थान टिनेन्सी एक्ट बाबत भूमि खसरा नम्बर 1866, 1838, 1839, 1840 वाके ग्राम बगड़ का पेश किया। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से प्रार्थना पत्र स्वीकार कर लिया। रेस्पोडेन्ट/प्रार्थी की ओर से अपनी खातेदारी के खेत खसरा नम्बर 1866 में आने जाने का रास्ता झुन्झुनूं से बगड़ रोड़ से दक्षिण दिशा में खसरा नम्बर 1837 की भूमि में से होते हुये खसरा नम्बर 1866 में प्रवेश करना बतलाते हुये उक्त रास्ता को प्रार्थना पत्र के संलग्न नजरी नक्शा में अक्षर ए बी सी से दर्शाया होना बताया है। खसरा नम्बर 1838 व 1840 में प्लॉटिंग की हुई होना बताया गया है तथा ए से बी बिन्दु तक कभी कोई आपत्ति नही होना का भी कथन किया गया है। आगे प्रार्थना पत्र के संलग्न नजरी नक्शा में बिन्दु ए से बी तक रास्ता प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने के समय व अब भी मौजूद है। अप्रार्थीगण नम्बर 1 लगायत 6 ने अप्रार्थी नं. 7 से नजरी नक्शा में दर्शाये बी स्थान पर एक 200 वर्गगज का प्लॉट क्रय कर इसी आधार पर प्रार्थीगण/रेस्पोडेन्टस नम्बर 1 लगायत 5 के आवागमन के रास्ता में अवरोध उत्पन्न कर प्रार्थीगण/रेस्पोडेन्टस नं. 1 लगायत 5 के अपने खेत खसरा नम्बर 1866 में आवागमन किये जाने में बाधा पहुंचाई। प्रार्थीगण/रेस्पोडेन्टस के पिता स्व. कुरड़ाराम ने इस पर विचारण न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र अ. धारा 251 ए राजस्थान टिनेन्सी एक्ट प्रस्तुत कर जाहिर किया कि प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत नजरी नक्शा में दर्शाए बिन्दु

अनिल कुमार II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

ए से सी अपनी खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 1866 में पहुंच के लिए निकटतम दूरी होना बतलाते हुये व प्रार्थीगण के खसरा नम्बर 1866 की भूमि में आवागमन के लिए अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं होने व प्रार्थीगण/रेस्पोडेन्टस को ए से सी रास्ता की अत्यान्तिक आवश्यकता होना बतलाते हुए ए से सी बिन्दु तक भूमि खसरा नम्बर 1837, 1838, 1839 व 1840 में से 4 मीटर चौड़ा रास्ता कायम करवाये जाने का अधिकारी होना बतलाते हुये उक्त रास्ता ए से सी नक्शा ट्रेस में कायम किये जाने का निवेदन किया। प्रार्थीगण/रेस्पोडेन्ट की ओर से प्रस्तुत किया गया प्रार्थना पत्र दर्ज किया जाकर अप्रार्थीगण/अपीलान्टस को नोटिस जारी किये गये जो बावजूद तामील न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं होने पर अप्रार्थीगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाये जाने के आदेश दिये गये। विचारण न्यायालय द्वारा तहसीलदार झुन्झुनूं से मौके की रिपोर्ट मंगवाये जाने पर प्रस्तावित रास्ता के मौके की स्थिति के बाबत रिपोर्ट दिनांक 01.07.2022 प्रस्तुत की गई जिसके अनुसार भूमि खसरा नम्बर 1837 की भूमि में मध्य से 18 फुट चौड़ा रास्ता मौजुद होने का कथन किया गया है तथा खसरा नम्बर 1866 में आवागमन के लिये खसरा नम्बर 1840 में प्रस्तावित दूरी का आंकलन कर 4 फीट चौड़ाई के रास्ता केलए कुल वर्गमीटर भूमि दर्शाते हुये नियमानुसार डी.एल.सी दर पर कुल राशि देय होना बतलाते हुये प्रार्थी/रेस्पोडेन्ट के अपने खेत में आने जाने के लिए अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं होने बाबत रिपोर्ट प्रस्तुत की गई हैं। अन्य कोई मौके की रिपोर्ट ऐसी नहीं है कि जो उक्त मौका रिपोर्ट दिनांक 01.07.2022 से विरोधाभाषी हो। प्रार्थीगण/रेस्पोडेन्ट द्वारा विचारण न्यायालय के द्वारा दिये गये आदेश की पालना में वांछित डी.एल. सी. दर पर राशि जमा करवाये जाने पर मौके पर रास्ता कायम भी कर दिया गया है। यह तथ्य भी उल्लेखनीय है कि कुछ अपीलान्ट अप्रार्थीगण नं. 1 लगायत 7 के द्वारा अपने–अपने हिस्से की रास्ता के बाबत राशि प्राप्त कर ली गई। इस प्रकार विचारण न्यायालय के आदेश दिनांक 03. 01.2024 की पालना भी पूर्ण हो चुकी है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अपील सारहीन है। खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विचारण

अनिल कुमार II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

न्यायालय में प्रार्थीगण रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 5 ने एक प्रार्थना पत्र अ. धारा 251 ए राजस्थान टिनेन्सी एक्ट बाबत भूमि खसरा नम्बर 1866, 1838, 1839, 1840 वाके ग्राम बगड़ का पेश किया। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से प्रार्थना पत्र स्वीकार कर लिया।

प्रस्तुत प्रकरण में रेस्पोडेन्ट/प्रार्थी की ओर से अपनी खातेदारी के खेत खसरा नम्बर 1866 में आने जाने का रास्ता झुन्झुनूं से बगड़ रोड़ से दक्षिण दिशा में खसरा नम्बर 1837 की भूमि में से होते हुये खसरा नम्बर 1866 में प्रवेश करना बतलाते हुये उक्त रास्ता को प्रार्थना पत्र के संलग्न नजरी नक्शा में अक्षर ए, बी, सी से दर्शाया होना बताया है। खसरा नम्बर 1838 व 1840 में प्लॉटिंग की हुई होना बताया गया है तथा ए से बी बिन्दु तक कभी कोई आपत्ति नही होना का भी कथन किया गया है। आगे प्रार्थना पत्र के संलग्न नजरी नक्शा में बिन्दु ए से बी तक रास्ता प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने के समय व अब भी मौजूद है।

अप्रार्थीगण नम्बर 1 लगायत 6 ने अप्रार्थी नं. 7 से नजरी नक्शा में दर्शाये बी स्थान पर एक 200 वर्गगज का प्लॉट क्रय कर इसी आधार पर प्रार्थीगण/रेस्पोडेन्टस नम्बर 1 लगायत 5 के आवागमन के रास्ता में अवरोध उत्पन्न कर प्रार्थीगण/रेस्पोडेन्टस नं. 1 लगायत 5 के अपने खेत खसरा नम्बर 1866 में आवागमन किये जाने में बाधा पहुंचाई।

प्रार्थीगण/रेस्पोडेन्टस के पिता स्व. कुरड़ाराम ने इस पर विचारण न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र अ. धारा 251 ए राजस्थान टिनेन्सी एक्ट प्रस्तुत कर जाहिर किया कि प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत नजरी नक्शा में दर्शाए बिन्दु ए से सी अपनी खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 1866 में पहुंच के लिए निकटतम दूरी होना बतलाते हुये व प्रार्थीगण के खसरा नम्बर 1866 की भूमि में आवागमन के लिए अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं होने व प्रार्थीगण/रेस्पोडेन्टस को ए से सी रास्ता की अत्यान्तिक आवश्यकता होना बतलाते हुए ए से सी बिन्दु तक भूमि खसरा नम्बर 1837, 1838, 1839 व 1840 में से 4 मीटर चौड़ा रास्ता कायम करवाये जाने का अधिकारी होना बतलाते हुये उक्त रास्ता ए से सी नक्शा ट्रेस में कायम किये जाने का निवेदन किया।

अनिल कुमार IIRAS
उप-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

प्रार्थीगण/रेस्पोडेन्ट की ओर से प्रस्तुत किया गया प्रार्थना पत्र दर्ज किया जाकर अप्रार्थीगण/अपीलान्टस को नोटिस जारी किये गये जो बावजूद तामील न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं होने पर अप्रार्थीगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाये जाने के आदेश दिये गये। विचारण न्यायालय द्वारा तहसीलदार झुन्झुनूं से मौके की रिपोर्ट मंगवाये जाने पर प्रस्तावित रास्ता के मौके की स्थिति के बाबत रिपोर्ट दिनांक 01.07.2022 प्रस्तुत की गई जिसके अनुसार भूमि खसरा नम्बर 1837 की भूमि में मध्य से 18 फुट चौड़ा रास्ता मौजुद होने का कथन किया गया है तथा खसरा नम्बर 1866 में आवागमन के लिये खसरा नम्बर 1840 में प्रस्तावित दूरी का आंकलन कर 4 फीट चौड़ाई के रास्ता के लिए कुल वर्गमीटर भूमि दर्शाते हुये नियमानुसार डी.एल.सी दर पर कुल राशि देय होना बतलाते हुये प्रार्थी/रेस्पोडेन्ट के अपने खेत में आने जाने के लिए अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं होने बाबत रिपोर्ट प्रस्तुत की गई हैं। अन्य कोई मौके की रिपोर्ट ऐसी नहीं है कि जो उक्त मौका रिपोर्ट दिनांक 01.07.2022 से विरोधाभाषी हो।

विचारण न्यायालय द्वारा धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के विधिक प्रावधानों के अनुसार रास्ते की आत्यंतिक आवश्यकता होना, वैकल्पिक रास्ते का अभाव होना एवं प्रस्तावित रास्ता लघुत्तम होना निर्धारित कर विचाराधीन निर्णय से आवेदन स्वीकार करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की है।

प्रार्थीगण/रेस्पोडेन्ट द्वारा विचारण न्यायालय के द्वारा दिये गये आदेश की पालना में वांछित डी.एल.सी. दर पर राशि जमा करवाये जाने पर मौके पर रास्ता कायम भी कर दिया गया है। यह तथ्य भी उल्लेखनीय है कि कुछ अपीलान्ट अप्रार्थीगण नं. 1 लगायत 7 के द्वारा अपने-अपने हिस्से की रास्ता के बाबत राशि प्राप्त कर ली गई। इस प्रकार विचारण न्यायालय के आदेश दिनांक 03.01.2024 की पालना भी पूर्ण हो चुकी है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अतः इसमें हस्तक्षेप करना हम उचित नहीं समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

[illegible] कुमार II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

निर्णय आज दिनांक 20/5/26 को सरे इजलास सुनाया गया।

( अनिल कुमार II )
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
सीकर